समाज कल्याण मंत्री ने गिनायीं अपनी उपलब्धियां

सुधार के लिए कई योजनाएं

गड़बड़ी के लिए वर्ष भर में 33 सीडीपीओ निलंबित

111 सेविका-सहायिकाएं चयनमुक्त

सभी वार्डों में होगा कम-से-कम एक आंगनबाड़ी केंद्र

विभिन्न पेंशन योजनाओं को लोक सेवा अधिकार में लाया गया

संवाददाता ■ पटना

आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सुधार व पारदर्शिता लाने, विकलांगों, महिलाओं, वृद्धों व बच्चों के कल्याण के लिए राज्य में इस वर्ष कई योजनाएं शुरू की गयीं. आंगनबाड़ी केंद्रों में गड़बड़ी और आंगनबाड़ी सेविका से घूस मांगने के आरोप में 33 सीडीपीओ को निलंबित किया गया है. आंगनबाड़ी केंद्रों में गंभीर गड़बड़ी के लिए 111 सेविका व सहायिकाओं को चयनमुक्त किया गया है. समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह ने शुक्रवार को बताया कि वृद्धावस्था, विधवा व नि:शक्तता पेंशन योजना को 15 अगस्त, 2011 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया है.

पेंशन योजना के लिए उम्र घटी

उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों की उम्रसीमा 65 से घटा कर 60 वर्ष कर दी गयी है. 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियों की राशि बढ़ा कर प्रतिमाह 500 रुपये कर दिये गये हैं. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम लागू किया गया है. समर्थ अभियान के तहत शिविर लगा कर 4.92 लाख विकलांगों को सर्टिफिकेट दिया गया, जिससे उन्हें पेंशन प्राप्त होने से सहायता मिली. 15 जिलों में बाल संरक्षण गृह बनाने की स्वीकृति दी गयी है. इसके लिए 525 पदों में बहाली चल रही है. पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में नवनिर्मित भवन में पर्यवेक्षण गृह संचालित हैं. पटना में तीन स्थान बस अड्डा के निकट, पटना जंकशन एवं पटना सिटी सहित छपरा, गया, पूर्णिया, मुंगेर व सहरसा में बच्चों के लिए 11 स्थानों पर खुला आश्रय गृह बनाये जायेंगे. 21 जिलों में बाल कल्याण समितियों का गठन किया गया है. शेष 17 जिलों में बाल कल्याण समितियों के गठन की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि हर वार्ड में कम-से-कम एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जायेगा. जिस वार्ड में एक हजार से अधिक आबादी होगी, वहां दो केंद्र खोले जायेंगे. आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है. आमलोग भी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कर सकते हैं. कन्या सुरक्षा योजना के तहत 10 लाख 66 हजार बच्चियों के लिए दो-दो हजार रुपये जमा कराये गये. कन्या विवाह योजना के तहत 69 हजार 986 लड़कियों के लिए बीपीएल परिवारों को पांच-पांच हजार रुपये दिये गये. महिला बाल विकास निगम में 4.77 करोड़ रुपये का एडस्टमेंट वाउचर का मिलान नहीं हो पाया है. इसकी जांच चल रही है.